न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 – 142/2016

अनवान : –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा त0 भादरा।

– प्रार्थी

ब ना म

1. शीला देवी पत्नी भंवरलाल सेनी निवासी भादरा

:– अप्रार्थी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत

उपस्थितः– श्री राजपैरोकार – वकील वादी
श्री महेन्द्र जांगिड वकील प्रतिवादी

निर्णय

दिनांकः– 26/02/2020

सक्षेंप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि चक 14 जेजीडब्ल्यू के मु0 न0 58 के किला न0 4, 7, 8, 13, 14 कुल 1.265है0 भूमि में शीलादेवी पत्नी भंवरलाल के नाम खातेदार दर्ज है।। उक्त भूमि को बिना कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाये ईन्ट भटठा लगाकर उपयोग में लाया जा रहा है।

मु0 न0 58 के किला न0 4, 7, 8, 13, 14 कुल 1.265है0 भूमि खातेदारी भूमि में हो रहे गैर कृषिक कार्यों के लिए खातेदार दण्ड के भागीदार है। प्रतिवादी विवादित कृषि भूमि का खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यों में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लंघन किया है। कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में कृषि उपयोग के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निर्माण कार्य कर सकता है, उससे अधिक पर नहीं। प्रतिवादी द्वारा मु0 न0 58 की भूमि को बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्से से अधिक भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी सदभावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की तामिल हो चुकी है, जवाब पेश करने हेतु प्रतिवादी को बार बार समय दिया गया है जवाब पेश नहीं करने पर जवाबदेही बन्द की गई।

वाद प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

1 आया कि वाद भूमि चक 14 जेजीडब्ल्यू के मु0 न0 58 के किला न0 4, 7, 8, 13, 14 कुल 1.265है0 को प्रतिवादी ने बिना किस्म परिवर्तित करवाये उक्त भूमि को गैर कृषि कार्य में ईन्ट भटठा के रूप में व्यवसायिक/ औद्योगिक कार्य के लिए जाने के कारण वादी उक्त भूमि को सिवाय चक घोषित करवाने का अधिकारी है?

2 आया कि प्रस्तुत वाद सिविल प्रकिया संहिता व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है?

3 आया कि मौके पर चिमनी का निर्माण नहीं है एव वाद भूमि पर कृषि कार्य हो रहा है?

4 अनुतोष?

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू 1 संदीप चौधरी तत्कालीन तहसीलदार भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेज साक्ष्य में पटवारी हल्का जोगीवाला रिपोर्ट प्रदर्श 1, नक्शा भूमि प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी चक 14 जेजीडब्ल्यू संवत 2069–72 खाता सं0 24/21 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

पेरोकार ने अपनी लिखित बहस में जाहिर किया कि चक 14 जेजीडब्ल्यू के मु0 न0 58 के किला न0 4, 7, 8, 13, 14 कुल 1.265है0 को बिना कृषि भूमि को अकृषि परियोजनार्थ रूपान्तरण करवाये ईन्ट भटठा लगाकर गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लिया है। सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न करवा कर नियमों का उल्लंघन किया है जो धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है व उक्त भूमि को सिवाय चक घोषित किया जावे का दावा प्रस्तुत किया गया था। उक्त दावा प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादी को लिखित नोटिस दिया गया कि भूमि का निर्धारित समय अवधि में संपरिवर्तन करवाले लेकिन प्रतिवादी ने नोटिस में उल्लेखित अवधि में भूमि को संपरिवर्तन नहीं करवाया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्टेट की ओर से भू अभिधारी शीलादेवी के विरूद्व विवादित भूमि को अकृषि कार्यों के उपयोग में लिए जाने का मामला है। हस्तगत प्रकरण में एक तनकी कायम की गई है जो वादी को साबित करनी है, तनकी अनुसार निर्णय इस प्रकार है।

तनकी सं0 1 को साबित करने का भार वादी पर था। वादी की ओर से वाद पत्र के समर्थन में तत्कालीन तहसीलदार भादरा की साक्ष्य करवाई गई है। साक्ष्य में पेरोकार राज (वादी) ने जिरह में कथन किया कि मुझे पता नहीं है कि वादभूमि के प्रतिवादी किस मुरब्बा न0 व किला न0 पर काबिज है जिससे पता लगे कि वादभूमि के कितने भाग में कृषि कार्य हो रहा है व कितने भाग में ईंट भटठा चल रहा है। कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ कार्यों में काम नहीं ली जा रही है। **पत्रावली में पेश**

उपखण्डाधिकारी (राजस्थान)
(जिला-हनुमानगढ़)

दस्तावेज पटवारी हल्का जोगीवाल की रिपोर्ट व स्वयं तहसीलदार भादरा की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया तो विवादित भूमि में कोई ईंट भटठा नहीं है व ग्वार की फसल खडी होना अंकित है। इसलिए उक्त तनकीयात प्रतिवादी के पक्ष में व विरूद्व वादी तय की जाती है।

तनकी सं0 2, 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी की ओर से वादपत्र के समर्थन में शीला देवी की साक्ष्य करवाई गई। साक्ष्य में शीला देवी (प्रतिवादी) ने जिरह में कथन किया कि अब मौका पर ईंट भटठा नहीं है। काफी वर्ष पूर्व ईंट भटठा था। वर्तमान में विवादित भूमि पर खेती बाडी के काम में ली जा रही है जमीन समतल है पिछली साल चने की फसल बिजाई की थी परंतु फसल नहीं हुई। व ईंट भटठा के कोई अवशेष नहीं है, कृषि भूमि का अकृषि कार्यों के प्रयोजनार्थ काम में नहीं ली जा रही है ना ही कोई अकृषि कार्य किया जा रहा है। इसलिए उक्त तनकीयात प्रतिवादी के पक्ष में व विरूद्व वादी तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपना वाद साबित करने में असफल रहा है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/02/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 – 142/2016

अनवान : –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा त0 भादरा।

– प्रार्थी

ब ना म

1. शीला देवी पत्नी भंवरलाल सेनी निवासी भादरा

:– अप्रार्थी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राज पेरोकार एवं वकील प्रतिवादी महेन्द्र जागिड की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.16 13:33:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: